फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री चांदमल पुत्र श्री भेराराम रेगर निवासी राजसूपर होटल ने.हा. नंबर–8 के सामने भीम

– अपीलार्थी

बनाम

पदाभिहित अधिकारी–लोक सेवा गारंटी उपखण्ड अधिकारी, भीम

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 **पत्रावली संख्या 01/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 17.04.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 अंतर्गत वांछित सूचना पदाभिहित अधिकारी–लोक सेवा गारंटी उपखण्ड अधिकारी, भीम से प्राप्त नहीं होने से सूचना प्राप्ति हेतु प्रथम अपील (लोक सेवा गारंटी अपील अधिकारी, जिला कलक्टर, राजसमंद) इस न्यायालय में प्रस्तुत करने से अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पदाभिहित अधिकारी–लोक सेवा गारंटी उपखण्ड अधिकारी, भीम को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । पदाभिहित अधिकारी–लोक सेवा गारंटी उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा पत्रांकः लो.से.गां.अ.प्रा./2023/136–37 दिनांक 16.2.23 से अवगत कराया कि कार्यालय रिकार्ड में तलाश कराने पर पाया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीम में प्रकरण संख्या 04/2014 में सायरी देवी बनाम छोगालाल वगैरह सम्बन्धी अन्य प्रकरण है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में प्रकरण का सही अंकन प्रस्तुत करने पर ही वांछित सूचना उपलब्ध कराना संभव है। साथ ही इस संबंध में प्रार्थी/अपीलार्थी स्वंय कार्यालय समय में उपस्थित होकर रिकॉर्ड का अवलोकन कर नियमानुसार वांछित रिकॉर्ड प्राप्त करे। प्रकरण में पदाभिहित अधिकारी–लोक सेवा गारंटी उपखण्ड अधिकारी, भीम को दिनांक 29 मार्च, 2023 एवं 05.04.2023 को निर्देशित किया गया कि न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्र.सं. 16/2015 (राजस्व डिक्री) अनवान श्री चांदमल पुत्र श्री भेराराम रेगर बनाम श्री फतहसिंह पुत्र श्री पन्नासिंह रावत (अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भीम दिनांक 25.5.2015 प्र.सं. 4/2014) में पारित निर्णय दिनांक 19.4.2017 को अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

25.5.2015 अपास्त कर प्रकरण में सभी पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। चूँकि अपीलांट श्री चांदमल रेगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भीम के प्र.सं. 4/2014 निर्णय दिनांक 25.05.2015 के विरूद्ध न्यायालय भू.प्र.अधि. एवं पदेन रा.अ.अधि. उदयपुर में अपील सं. 16/2015 दर्ज करवाई गई, जिसमें दिनांक 19.04.2017 को निर्णय पारित किया जाने से उक्त प्रकरण से संबंधित आर्डरशीट एवं रिमाण्ड पत्रावली की प्रमाणित प्रति 07 दिवस में अंदर-अंदर आवेदक को नियमानुसार उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 14.03.2023, 29.03.2023 एवं 05.04.2023 से पदाभिहित अधिकारी-लोक सेवा गांरटी उपखण्ड अधिकारी, भीम को निर्देशित किया जाने पर पत्रांकः 319-20 दिनांक 7.4.2023 से अवगत कराया कि वांछित रिकार्ड की तलाश हेतु दिनांक 29.03.2023 को तलाश पत्र जारी किया गया पर रीडर कोर्ट द्वारा बताया गया कि दिनांक 07.04.2020 तक पेशी रजिस्टर में अंकन होकर पत्रावली पेशी हेतु थी उसके बाद पेशी रजिस्टर में अंकन नहीं है। तत्कालीन रीडर कोर्ट का चार्ज श्री किशनसिंह चौहान सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पास था। अन्य सभी शाखा प्रभारी से उक्त तलाश पत्र के क्रम में पत्रावली नहीं मिलने का उल्लेख किया जाने पर थाना प्रभारी पुलिस थाना भीम को उक्त पत्रावली खो जाने बाबत एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही हेतु पत्रांकः 318 दिनांक 06.04.2023 से लिखा गया। पदाभिहित अधिकारी-लोक सेवा गांरटी उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा पत्रांकः लो.से.गां.अ.प्रा./2023/324 दिनांक 12.04.2023 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाते हुए पत्रांकः लो.से.गां.अ.प्रा./2023/326-27 दिनांक 12.04.2023 से अगवत कराया कि वांछित रिकॉर्ड तलाश करने पर उपलब्ध हो जाने से प्रमाणित प्रतियां आवेदक/अपलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है।

पदाभिहित अधिकारी-लोक सेवा गांरटी उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सेवा गांरटी प्रथम अपील अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पदाभिहित अधिकारी-लोक सेवा गांरटी उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्ट दिनांक 12.04.2023 अनुसार वांछित रिकॉर्ड तलाश करने पर उपलब्ध हो जाने प्रमाणित प्रतियां आवेदक/अपलार्थी को उपलब्ध करवादी गई है। परंतु रीडर कोर्ट की रिपोर्ट अनुसार दिनांक 07.04.2020 तक पत्रावली पेशी रजिस्टर में अंकन होकर पत्रावली पेशी पर होना तथा उसके बाद पेशी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

रजिस्टर में अंकन नहीं होना तथा पत्रावली खो जाने बाबत पुलिस स्टेशन, भीम पर एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही हेतु पत्रांकः 318 दिनांक 06.04.2023 से लिखा जाने संबंधी कार्यवाही करना व पत्रांकः लो.से.गां.अ.प्रा./2023/324 दिनांक 12.04.2023 से प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवाते हुए पत्रांकः लो.से.गां.अ.प्रा./2023/326–27 दिनांक 12.04.2023 से वांछित रिकॉर्ड तलाश करने पर उपलब्ध हो जाने से प्रमाणित प्रतियां आवेदक /अपलार्थी को उपलब्ध करवाने संबंधी अनुरोध करना यह स्पष्ट जाहिर होता है कि पदाभिहित अधिकारी–लोक सेवा गारंटी उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा न्यायालय को गलत सूचना देना तथा अपीलार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाना अनुशासनहिनता की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है तथा पदाभिहित अधिकारी–लोक सेवा गारंटी उपखण्ड अधिकारी, भीम को निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली पेशी डायरी में निरन्तर अंकित नहीं होने तथा पत्रावली गुमजाने संबंधी किस रीडर/कार्मिक की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी फिक्स की जाकर इस न्यायालय को अवगत करावे ताकि संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सके। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, पदाभिहित अधिकारी–लोक सेवा गारंटी उपखण्ड अधिकारी, भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सेवा गारंटी प्रथम अपील अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)